

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

काम जो इस
हुकम की
तामिलमे जारी
हुए

23.12.2020

पत्रावली मूल अपील के साथ साथ पेश हुई। अपीलार्थी के वकील उपस्थित। पेशेकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, सिरौही के निर्णय दिनांक 05.10.2020 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर मूल अपील के साथ नत्थी हो।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरौही

